न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 02 / 2020

राजस्थान सरकार जरिये संजीव कुमार शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, भरतपुर।

......प्रार्थी

बनाम

1. श्री राहुल तिवारी पुत्र महेश चंद शर्मा न्यू कॉलोनी मन्दिर वाली गली,नगर
2. श्री दीपचंद पुत्र टोडरमल जाति ब्राहाम्ण निवासी पचौरी मौहल्ला नगर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

निर्णय **दिनांक 25.11.2020**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.03.2020 को जिला स्पेशल टीम की सूचना पर नगर अलवर रोड मोती मैरिज होम व सैनी धर्मशाला के पास एक वाड़े में पहुंच कर जांच की, जहां पर एक सफेद रंग की मारूती वैन आरजे 02 यूए 6289 में अप्रार्थी संख्या 01 राहुल तिवारी द्वारा विद्युत मोटर एवं नली एवं रेग्यूलेटर के माध्यम से 14.2 कि.ग्रा.के घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस का स्थानान्तरण किया जा रहा था। उक्त मारूती वैन अप्रार्थी सं02 दीपचन्द पुत्र टोडरमल की होना पाई गई । दौराने जांच मौके पर गैस स्थानान्तरण में प्रयुक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर के अतिरिक्त 9 अन्य गैस सिलेण्डर एवम् इस कार्य में प्रयुक्त विद्युत मोटर के अतिरिक्त दो अन्य विद्युत मोटर तथा दो वैटरी चलित मोटर भी उपलब्ध मिली। अप्रार्थीगण का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण उक्त सामान जब्त सरकार किया गया एवं मौके की परिस्थिति एवं सुरक्षा की दृष्टि से तेज भारत गैस के मैनेजर की सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2कि.ग्रा. भराव क्षमता) मय 121.3 कि.ग्रा. गैस, 3 विद्युत मोटर, 2 वैटरी चलित मोटर, 5 नली व 2 रेग्यूलेटर तथा मारूति वैन संख्या आरजे 02 यूए 6289 को राजसात कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 (बी) ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी सख्या 01 की ओर से जबाब पेश हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

बहस सुनी गई। पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि मौके पर राहुल तिवारी द्वारा विद्युत मोटर,नली व

जिला कलक्टर भरतपुर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.10 14:32:30 IST
Reason: SelfAttested

रेग्यूलेटर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से दीपचंद पुत्र टोडरमल की मारूती वैन आरजे 02 यूए 6289 में अवैध रूप से रिफिलिंग की जा रही थी। मौके पर अप्रार्थी सं01 राहुल तिवारी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग कार्य हेतु कोई दस्तावेज या अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, और न इस बाबत कोई संतोषजनक जबाब दिया। उक्त कार्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का अधिनियम) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर जब्तशुदा जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2कि.ग्रा. भराव क्षमता) मय 121.3 कि.ग्रा. गैस, 3 विद्युत मोटर, 2 वैटरी चलित मोटर, 5 नली व 2 रेग्यूलेटर तथा मारूति वैन संख्या आरजे 02 यूए 6289 को राजसात किये जाने की पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि लगाये गये आरोप बेवुनियाद व तथ्यों के विपरीत है। अप्रार्थी की मोती मैरिज होम के बगल में मोटर मैकेनिक की दुकान है, रसद विभाग की टीम ने मैरिज होम पर रखे हुये गैस सिलेण्डरों को प्रार्थी की दुकान पर दिखाते हुये जब्त किया है। जबकि प्रार्थी की दुकान पर सिलेण्डर नही थे। अप्रार्थी मारूती वैन संख्या आरजे 02 यूए 6289 पर नई गैस किट लगाकर उसे चैक कर रहा था। रसद विभाग द्वारा गलत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस स्थानान्तरण का गलत आरोप लगाते हुये अप्रार्थी की दुकान पर रखी मोटरों व बगल के मैरिज होम में रखे गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी की दुकान पर दिखाते हुये जब्त किया है। अप्रार्थी किसी प्रकार के अवैध गैस सिलेण्डर के कारोबार में संलिप्त नही है। अतः कार्यवाही को निरस्त करते हुये अप्रार्थी की दुकान से जब्त सामग्री को लौटाया जावे।

हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस का मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अप्रार्थी राहुल तिवारी को मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से दीपचंद पुत्र टोडरमल की मारूती वैन संख्या आरजे 02 यूए 6289 में अवैध रूप से गैस स्थानान्तरण का कार्य करते हुए पाया गया है, साथ ही इस कार्य में प्रयुक्त होने वाली तीन विद्युत मोटर, 2 वैटरी चलित मोटर, 5 नली व 2 रेग्यूलेटर तथा 9 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर भी मिले हैं। अप्रार्थी राहुल तिवारी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग कार्य हेतु कोई दस्तावेज या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञापत्र भी प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका जॉच रिपोर्ट एवं फर्द जप्ती कार्यवाही से स्पष्ट है कि मौके पर फर्द जप्ती कार्यवाही में अन्य मौतविरान के साथ अप्रार्थीगण राहुल तिवारी व दीपचंद के हस्ताक्षर हो रहे हैं। जिसमें उक्त सामान जप्त किये जाने का भी उल्लेख है। इस से यह निर्विवाद है कि अप्रार्थीगण, की गई कार्यवाही एवं फर्द जप्ती कार्यवाही से सहमत थे। मौके पर उनके द्वारा विरोध दर्ज कराने का कोई उल्लेख भी पत्रावली पर नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी राहुल तिवारी घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रुप से वाहनों में गैस स्थानान्तरण कार्य एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रुप से भंडारण में लिप्त है। अप्रार्थी राहुल तिवारी का उक्त कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का अधिनियम) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध

644

C:\Users\lenovo\Desktop\rasad nirday new.doc

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.10 14:32:30 IST
Reason: SelfAttested

है। मौके से जप्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2कि.ग्रा. भराव क्षमता) मय 121.3 कि.ग्रा. गैस, 3 विद्युत मोटर, 2 वैटरी चलित मोटर, 5 नली व 2 रेग्यूलेटर को राजसात (Confiscate) किया जाना एवं मारूति वैन संख्या आरजे 02 यूए 6289 को नरम रूख अपनाते हुये रिलीज किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके से जप्त शुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2कि.ग्रा. भराव क्षमता) मय 121.3 कि.ग्रा. गैस, 3 विद्युत मोटर, 2 वैटरी चलित मोटर, 5 नली व 2 रेग्यूलेटर राजसात (Confiscate) किया जाता है एवं मारूति वैन संख्या आरजे 02 यूए 6289 को (सुपुर्दगी से वागुजार) रिलीज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राज्य कोष में जमा कराई जावे, तथा अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.10 14:32:30 IST
Reason: SelfAttested